E-Mail: jsaffl.cbse@gmail.com
Website: www.cbse.nic.in

Phone: 22528257
Fax: 22540655

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत संगठन)
शिक्षा केन्द्र'' 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110 301

दिनांक: 18 नवम्बर, 2013
परिपत्र नं. 17

सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त संस्थानों /636051
के सभी प्रमुख

विषय: विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण एवं प्रत्यायन

प्रधानाचार्य महोदय,

संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के सभी प्रमुखों के ध्यान में लाया जाता है कि पांच वर्षो में एक बार प्रत्यायितता प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जा रहा है। ऐसा शिक्षा की गुणवत्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

प्रत्यायन क्या है?

यह आत्म विश्लेषण और सहकर्मी पारस्परिक क्रिया पर आधारित गुणवत्ता निर्धारण की एक प्रक्रिया है और पूर्व परिभाषित क्षेत्रों यथा शैक्षिक और सह शैक्षिक अधिकार क्षेत्र, ढांचागत क्षेत्रों, मानव संसाधन, प्रबंधन और प्रशासन, नेतृत्व और लाभार्थी संतुष्टि में पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

प्रत्यायन के क्या लाभ हैं?

- संस्थान में उत्कृष्टता और आत्म–अभिमान विकसित करता है।
- गुणवत्ता के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता को बाह्य मान्यता प्रदान करता है।
- गुणवत्ता सुधार के लिए संस्थान की प्रक्रियाओं का एक विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है।
- मजबूत और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान कराता है।
- संस्थान में स्टेकहोल्डरों का आत्म–विश्वास कराता है।

मजबूत विद्यालय प्रक्रिया स्थापित करने के अतिरिक्त प्रत्यायित विद्यालय को स्थाई रूप से संबद्ध किया जाएगा।

प्रत्यायित होने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण और प्रत्यायन योजना (एसक्यूएए) आरंभ की है जो गुणवत्ता वृद्धि की प्रक्रियाओं के आत्म–अनुवीक्षण और आत्म विश्लेषण के माध्यम से निरंतर गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से निर्धारण और प्रत्यायन की एक प्रक्रिया है।

आवेदन कब और किसको करना चाहिए?

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय को आवेदन करना चाहिए।
- विद्यालय को आशय फार्म भरकर सीबीएसई को ऑनलाईन आवेदन करना चाहिए। (आशय फार्म वेबसाइट accreditation.cbseacademics.in उपलब्ध है।)

प्रत्यायन कौन करेगा?

प्रत्यायन का निर्धारण केमाशिबो/निजी नामिकागत एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। आरंभ में प्रत्यायन के बारे में अंतिम निर्णय केवल सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा। मूल्यांकन टीम जिसे 'पीयर एसेसर टीम' (पीएटी) कहा जाता है, में तीन सदस्य होंगे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य/विशेषज्ञ होंगे और उन्हें प्रत्यायन के लिए निर्धारक (एसेसर) होने के लिए सीबीएसई द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है।